16/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहक[illegible] जो इस हुक्म की तामी[illegible] में जारी हु[illegible]
19/1/23	पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निगरानीधीन पट्टे को खारिज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि पट्टे से संबंधित रेकर्ड फोजदारी प्रकरण संख्या 273/2000 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जमा है। अतः बिना अभिलेखो के अवलोकन के गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना संभव नही है अतः निगरानी याचिका खारिज की जावे। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। ग्राम पचांयत से प्राप्त पत्र दिनांक 17.8.2021 से अवगत करवाया कि निगरानी अधीन मूल रेकर्ड एवं पट्टे उच्च न्यायालय जोधपुर में फोजदारी प्रकरण संख्या 273/2000 में जमा है। मूल अभिलेख एवं पट्टो के पत्रावली पर उपलब्ध नही होने से गुणावगुण पर पत्रावली में निर्णय किया जाना न्यायोचित नही है। अतः मूल रेकर्ड एवं पट्टे प्राप्त होने पर प्रार्थी के पुनः निगरानी प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रस्तुत पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र इस स्तर पर निस्तारित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19/1/23 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे। अति. जिला कलेक्टर पाली	